.न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 09/2020

प्रार्थी :–

संजय वशिष्ट उपाध्यक्ष, अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड
मारवाड़ मुण्डवा, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. प्रबंधक/अध्यक्ष राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड उदयपुर(राज.)
2. तहसीलदार, जायल जिला–नागौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री भरत औझा प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी की ओर से दीपक चौहान प्रबंधक (सर्वे) एवं प्रभारी

– : : आदेश : : – दिनांक: 10/11/2020

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 1081/880 रकबा 2.5900 हैक्टेयर मौजा मातासुख तहसील जायल में स्थित है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नं. 519 रकबा 35.14 बीघा में उतर–दक्षिण स्टेट हाईवे बना है, जिसके पूर्व से करता है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यही एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत मे कृषि संसाधनो सहित आने जाना कर सके। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 519 ग्राम मातासुख तहसील–जायल में से संलग्न नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी करावे। जिसके एवज में प्रार्थी प्रतिकर राशि वहन करने के लिए तैयार है।

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल

10/11/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जायल को प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दीपक चौहान प्रबंधक (सर्वे) एवं प्रभारी उपस्थित आये जिन्होने जवाब पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी ने आर. एस. एम. एम. एल. नागौर कार्यालय में दिनांक 10.07.2020 को ट्रीटमेंट प्लॉन्ट लगाने के लिए खसरा नं. 519 में से रास्ते के उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं कार्यालय आर.एस.एम.एम.एल. नागौर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य विरोधाभाषी व अलग–2 आधार पर लिये गये है। आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा गांव सरहद मातासुख, कसनाऊ एवं ईग्यार की लगभग 1364.013 हैक्टैयर भूमि लिग्नाईट खनन एवं उससे जुड़ी गतिविधियों के परियोजनार्थ अवाप्त की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत रास्ता दिलवाया जाना उक्त धारा का उल्लघंन होगा।

3. प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020 को अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अप्रार्थी संख्या के खातेदारी के खसरा नं. 519 ग्राम मातासुख तहसील जायल में से प्रस्तावित रास्ता मार्क ए. से. बी. 20 फीट के स्थान पर 30 फीट संशोधित किये जाने संबंधी पेश किया। जो स्वीकार किया गया तथा मौका रिपोर्ट हेतु संशोधित तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/3206/26.10.2020 प्राप्त की गई। तहसीलदार जायल ने अपनी मौका रिपोर्ट में अवगत कराया कि तहरीर की पालना हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के दौरान मौके पर उपस्थिति हेतु सूचित किया गया। उक्त नोटिस पर प्रार्थी की ओर से चेतनराम व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दीपक

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

चौहान प्रबंधक सर्वे एवं प्रभारी उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क का उल्लंघन होना बताया तथा उक्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तहसीलदार जायल ने अपनी मौका रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ते हेतु क्षेत्रफल लम्बाई–20.34 मीटर, चौड़ाई–9.15 मीटर, कुल क्षेत्रफल–195.2610 वर्गमीटर अर्थात 0.0195 हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते हेतु उपभोग में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. अनुसार प्रतिकर राशि 6502/– रू. होना भी अपनी मौका रिपोर्ट में बताया जो शामिल मिसल है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट व अप्रार्थी पक्ष से एतराज/आपत्ति पेश होने के उपरान्त प्रकरण में अन्य किसी प्रकार कार्यवाही शेष नहीं होने तथा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251क के तहत होने के कारण निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किये जाने का प्रावधान होने साथ ही सम्मरी प्रासेडिंग का होने से प्रकरण में अन्तिम बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

4. दौराने बहस वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी, कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 1081/880 रकबा 2.5900 हैक्टेयर मौजा मातासुख तहसील जायल में कृषि कार्य हेतु आने जाने व आवश्यक संसाधनो के आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खसरा नं. 519 रकबा 35.14 बीघा में से (संशोधित) माफिक नजरी नक्शानुसार 30 फीट का रास्ता अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर खसरा नं. 1081/880 एवं खसरा नं. 519 में निर्मित हाईवे नं. 92 के बीच में 20–22 मीटर जमीन जो कि रोड़–सीमा के लिए स्थित है, जो स्टेट हाईवे संख्या 92ए की सड़क सीमा की शेष भूमि है, जो अब कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए अनुउपयुक्त भूमि है, उक्त भूमि केवल मात्र पेड़ पौधे लगाने तथा प्राकृतिक

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पैदावार के लिए ही उपयोग/उपभोग में ली जा सकती है। जिसका उपयोग/उपभोग प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 1081/880 में कृषि कार्य हेतु आने जाने तथा मुख्य सड़क मार्ग स्टेट हाईवे संख्या 92ए पर प्राकृतिक पैदावार पानी के उपयोग एवं उपभोग हेतु प्रस्तावित इसी मार्ग का उपयोग कर रहा हैं लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कट्टाणी नहीं होने से अप्रार्थी को वास्ते एन.ओ.सी. एवं रिकॉर्ड में कट्टाणी करने हेतु निवेदन जिसपर अप्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी ने 251क में न्यायालय हाजा में उपस्थित होना पड़ा। अतः प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खातेदारी खेत में आने–जाने तथा आवश्यक संसाधनों को जाने व ले जाने हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने तथा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1081/880 के सबसे निकटतम रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नं 519 में से मार्क ए. से. बी. होने के कारण संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता कट्ाण घोषित किये जाने का निवेदन किया। जिसके फलस्वरूप नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगनी प्रतिकर राशि माफिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल अप्रार्थी को भुगतान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1081/880 में कृषि कार्य हेतु आने जाने तथा कृषि कार्य के आवश्यक संसाधन के आवागमन हेतु अप्रार्थी के खातेदारी के खसरा नं. 519 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शानुसार 30 फीट चौड़ाई का स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश जारी करने का निवेदन किया।

5. वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार की दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन व विवेचन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1081/880 में आने जाने के लिए निकटतम कम दूरी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 खेत खसरा नं. 519 जिसमें से स्टेट हाईवे संख्या

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

92–ए प्रचलित है के लिए रोड़ सीमा में छोड़ी गई 20–22 मीटर जो कि राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी दर्ज नही है तथा उक्त अवशेष भूमि केवल वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक पैदावार के लिए ही उपयोग में ली जा सकती है, न कि कृषि प्रयोनार्थ उपयोग में ली जा सकती है। परन्तु उक्त रास्ते के उपयोग के लिए प्रार्थी को अप्रार्थी पक्ष द्वारा अनाप्ति नहीं दी जाने तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी दर्ज नहीं होने संबंधी तथ्य की ताईद पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, नजरी नक्शा एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट से होती है। साथ ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 251क के तहत प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1081/880 में कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 519 में से माफिक नजरी नक्शा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी की आत्यान्तिक रास्ते की आवश्यकता को सम्पुष्ट भी करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 519 रकबा 35.14 बीघा में से माफिक नजरी नक्शा(संशोधित) मार्क ए से बी 30 फीट चौड़ाई का प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1081/880 में कृषि कार्य हेतु आवागमन तथा संसाधन लाने व ले जाने हेतु नियमानुसार देय प्रतिकर राशी के भुगतान की सहमति पर स्वीकृत किया जाना हम न्यायालय मत में उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ स्वयं आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण मौजा मातासुख तहसील जायल के खसरा नं. 519 भूमि में से माफिक नजरी नक्शानुसार 0.0195 हैक्टेयर का तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 के अनुसार

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

डोटेट मार्क ए. से बी. के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार डी.एल.सी. दर की दुगना प्रतिकर राशि 6502/– रू. अप्रार्थी संख्या 1 प्रबंधक/अध्यक्ष राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड उदयपुर (राज.) को भुगतान करे। माफिक आदेश बाद अपील मियाद के अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जायल जिला–नागौर न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2020 इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10/11/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

10/11/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल